प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा दिनांक 08.07.2025

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 212/25 धारा 103(1)/115(2)/3(5) बीएनएस में वांछित 02 महिला अभियुक्ता व 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनकी निशादेही पर घटना में प्रयुक्त आला कत्ल 01 ईंद बरामद ।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 07.07.2025 को थाना खेकडा पर वादिया ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1.भाई आकाश, 2.भाभी, 3.भाई आकाश की साली व 4.पड़ोसी विजय पुत्र इकबाल निवासी गण ग्राम नगला बड़ी थाना खेकड़ा जनपद बागपत द्वारा एक राय होकर वादिया के माता-पिता के साथ मारपीट की गई, जब वादिया व वादिया के पति विकास पुत्र रामकिशन निवासी कोर्ट रोड गली नं0 6 कस्बा व थाना बागपत द्वारा बचाने का प्रयास किया गया तो उक्त सभी अभियुक्तों ने एक राय होकर वादिया के पति विकास के सिर में ईंट मारकर गम्भीर रूप से घायल कर दिया, जिसको उपचार हेतु सीएचसी खेकड़ा लेकर गये जहां पर डाक्टरों द्वारा विकास को मृत घोषित कर दिया। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 212/25 धारा 103(1)/115(2)/3(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही -

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 **212/25** धारा **103(1)/115(2)/3(5)** बीएनएस में वांछित 02 महिला अभियुक्ता सहित अन्य **02** अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, अभियुक्त आकाश की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त आला कत्ल **01** ईंट बरामद किया गया है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1.विजय पुत्र इकबाल सिंह निवासी नगला बडी थाना खेकडा जनपद बागपत।

2.आकाश पुत्र कंवरपाल निवासी नगला बडी थाना खेकडा जनपद बागपत।

3. एक महिला।

4. एक महिला।

बरामदगी का विवरणः-

- ईंट (अभियुक्त आकाश की निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त आला कत्ल)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1-प्र0नि0 श्री कैलाशचन्द्र थाना खेकडा जनपद बागपत।

2- निरीक्षक अपराध श्री ओमप्रकाश आर्य थाना खेकडा जनपद बागपत।

3- उ0नि0 श्री सनुज कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत।

4- म0उ0नि0 यूटी करिश्मा थाना खेकडा जनपद बागपत

5- है0का0 652 मोहित कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत।

6- का0 164 नितिन कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत।

7- का0 1083 शुभम राणा थाना खेकडा जनपद बागपत।

8- म0का0 764 प्रियंका थाना खेकडा जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत दिनाँक-08.07.2025

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 385/25 धारा 103(1)/238 बीएनएस में वांछित हत्यारोपी 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 18.06.2025 को थाना बडौत पर वादी श्री अंकित पुत्र सोराज सिंह निवासी ग्राम लुहारी थाना बडौत जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्तों 1.संजीव पुत्र गजेसिंह, 2.रवि पुत्र संजीव व 02 महिलाओं निवासी ग्राम लुहारी थाना बडौत द्वारा लड़की (संजीव की बेटी) की गला दबाकर हत्या कर दी तथा शव का अंतिम संस्कार कर दिया। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 385/25 धारा 103(1)/238 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 385/25 धारा 103(1)/238 बी.एन.एस. में वांछित 01 हत्यारोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उक्त अभियोग में दिनांक 19.06.2025 को अभियुक्त संजीव पुत्र गजेसिह निवासी ग्राम लुहारी थाना बड़ौत जनपद बागपत व 02 अभियुक्ताओं को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-</u>

रवि पुत्र संजीव कश्यप निवासी ग्राम लुहारी थाना बडौत जनपद बागपत।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम---</u>

1-प्र0नि0 मनोज कुमार चाहल थाना बडौत जनपद बागपत।
2-उ0नि0 श्री सुरेश कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
3-का0 115 प्रशान्त पंवार थाना बडौत जनपद बागपत।
4-का0 92 सचिन कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।

प्रेस नोट

थाना बिनौली **दिनाँक 08.07.2025**

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 200/25 धारा 110/252 बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसकी निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त एक फावड़ा बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 06.07.2025 को थाना बिनौली पर वादी श्री योगेन्द्र पुत्र भंवर सिंह निवासी ग्राम रन्छाड थाना बिनौली जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्त सोनू पुत्र लक्ष्मण निवासी ग्राम रन्छाड थाना बिनौली जनपद बागपत द्वारा उसके पौत्र सन्नी पुत्र योगेश कुमार के साथ गाली-गलौच करते हुए उसके सिर पर फावड़े से वार कर दिया, जिससे सन्नी मौके पर घायल होकर बेहोश हो गया। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 200/25 धारा 352/110 बीएनएस पंजीकृत किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 200/25 धारा 110/252 बीएनएस में वाँछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सोनू उर्फ सुनील पुत्र लक्ष्मण सिंह निवासी ग्राम रन्छाड थाना बिनौली जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- **निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त एक फावड़ा ।**

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री हिमांशु सागर थाना बिनौली जनपद बागपत ।
2-उ0नि0 श्री शत्रुघन यादव थाना बिनौली जनपद बागपत ।
3-है0का0 440 राशिद थाना बिनौली जनपद बागपत ।
4-का0 240 तरुण कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।

प्रेस नोट

थाना खेकडा   दिनाँक 08.07.2025

थाना खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद हुआ है।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 213/25 धारा 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया है एवं आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

संदीप पुत्र चन्दकिरण निवासी मौहल्ला पट्टी रामपुर कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरणः-

- एक अवैध चाकू ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1-उ0नि0 श्री कपिल कुमार थाना खेकड़ा ।

2-का0 1016 रोहित राठौर थाना खेकड़ा ।

3-का0 783 हिमांशू थाना खेकड़ा ।